कार्यालय प्राचार्य

शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

आचरण संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों का अक्षर से पालन करना होगा इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे ।

सामान्य नियम

- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पठन-पाठन गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेंगे ।

- **प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय में शालीन व्यवहार करेगा अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौज मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।**
- **विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजित नहीं होना चाहिए ।**
- **प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता से व्यवहार करेगा ।**
- **महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है अतः इसका प्रत्येक विद्यार्थी कड़ाई से पालन करेंगे ।**
- **महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।**
- **महाविद्यालय में इधर-उधर घूमना थूकना दीवानों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है विद्यार्थी असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ।**
- **विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को**

मनवाने के लिए राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा ।

- **अध्ययन संबंधी नियम**

1 प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एनएसएस में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

2 सभी विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे उनको स्वच्छ रखेंगे एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेंगे प्रयोग के पश्चात उपकरण को यथा स्थान रखेंगे किसी प्रकार की प्रयोगशाला में टूट-फूट होने पर विद्यार्थियों से वसूली जाएगी ।

3 लाइब्रेरी द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन विद्यार्थी करेगा उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से ना लौटाने पर निर्धारित अर्थ दंड देना होगा ।

4 अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।

5 व्याख्यान कक्ष में प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे लाइट फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जाएगा ।

परीक्षा संबंधी नियम

1 विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं तिमाही तथा अर्थ वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

2 आंतरिक परीक्षाओं में अस्वस्थता की वजह से सम्मिलित ना होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।

3 परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर आचरण माना जाएगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1 छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा ।

2 यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किए जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर 5 साल तक कारावास की सजा या ₹5000 अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

3 यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जाएगा ।

4 यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपा आएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के समक्ष करेंगे ।

विशेष निर्देश

महाविद्यालय में उत्पन्न किसी भी समस्या के मामले पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

प्रवेश के नियमों में छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।

आदेशानुसार

प्राचार्य

शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय

नंदिनी नगर अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़